चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/2539
दिनांक : 01.02.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक
समस्त, सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के पत्र संख्या एफ1—7/2011(एस.सी0/एस..टी.) दिनांक 04 जून, 2018 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के पत्र संख्या एफ 1—7/2011(एस.सी0/एस..टी.) दिनांक 04 जून, 2018 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्यो एवं प्रबन्धको को सूचित किया जाता है कि आपके अपने महाविद्यालय/संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गो के अध्ययनरत छात्र—छात्राओं, कार्यरत शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को प्रतिबन्धित किया गया हैं। इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि प्राचार्य कक्ष में शिकायती पंजिका अनिवार्य रूप से रखी जाए, जिसमें इन वर्गो से सम्बन्धित पीडित अपनी शिकायत दर्ज कर सके जिस पर प्रबन्धतंत्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करनी होगी।

उक्त का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,
01/02/2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रति कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
4. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।

कुलसचिव